(घ) भारत सरकार ने सीधे विदेशी निवेश के लिए किसी विशेष राज्य का चयन नहीं किया है। निवेशक, संबंधित राज्य सरकार से पूर्वेक्षण/खनन लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी भी राज्य में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा चुने गए मुख्य राज्य तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश हैं।

बैलाडिया खानों को बन्द किया जाना

4392. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैलाडिया लौह अयस्क खानों में से किन-किन खानों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 1997 में बन्द करने के आदेश दिये गये हैं;

(ख) इन खानों की पट्टा अवधि कब समाप्त हो रही है और उनमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को इन लौह अयस्क खानों से रॉयल्टी और अन्य करों के रूप में भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैलाडिला क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपरण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसकी सफलता का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रमेश बैस): (क) वन क्षेत्र में गैर-वानिकी कार्यकलापों पर रोक लगाने सम्बन्धी माननीय उच्चतम न्यायालय के 1997 के आदेशों के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश सरकार ने बेलाडिला की निम्नलिखित खानों को बन्द करने के आदेश दिए थे :—

(1) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-14

(2) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-14 (गैर-खनिज क्षेत्र) अर्थात् निक्षेप-11/सी का एक भाग।

(3) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-5

ये खानें 27.2.1997 से 19.3.1997 तक बन्द रहीं।

(ख) इन खानों की पट्टा अवधि समाप्त होने की तारीखें निम्न प्रकार हैं :—

	पट्टे का नाम	समाप्ति की तारीख	30.4.98 की स्थिति के अनुसार सूची में नियमित श्रमिक
(1)	निक्षेप संख्या-14	11.9.95	1610
(2)	निक्षेप संख्या-14 (गैर खनिज क्षेत्र) अर्थात् बैलाडिया निक्षेप-11/सी का एक भाग	06.12.95	
(3)	निक्षेप संख्या-5	11.9.95	1614

(ग) गत तीन वर्षों के लिए इन खानों से मध्य प्रदेश सरकार को दी गई रॉयल्टी और बिक्री-कर की राशि नीचे दी गई है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	रॉयल्टी	मध्य प्रदेश बिक्री-कर
1995-96	1,621	24
1996-97	1,826	38
1997-98	1,542	63

(घ) बैलाडिला क्षेत्र में एन.एम.डी.सी. द्वारा किए गए प्रतिपूरक वनरोपण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(1) प्रारम्भ से लेकर 31.3.1998 तक रोपित वृक्षों की संख्या	14.46 लाख
(2) किया गया व्यय	2.90 करोड़ रु.
(3) उत्तर जीविता दर	90 प्रतिशत

Schools under Management of Bokaro Steel Limited

4393. SHRI BRATIN SENGUPTA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hindi medium schools following Bihar syllabus giving free education according to NJCS Agreement are being changed into English medium following CBSE course charging fees by the management of Bokaro Steel Limited;

(b) if so, the details thereof and the names of such schools converted and justification of violation of NJCS Agreement; and

(c) whether charging from Hindi to English is according to the policy of SAIL?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI

RAMESH BAIS): (a) to (c) At present, no Hindi medium school is being changed into English medium school by the management of Bokaro Steel Plant.

Development Schemes for Workers in Steel Units

4394. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the social development schemes for the workers employed in steel units in Gujarat and Maharashtra and M.P.;

(b) the details thereof;

(c) whether Government have declared any special package plans for workers of steel units in Vidarbha and Kutch;

(d) if so, the main characteristics of this package;

(e) what is Government's plan for upliftment of workers belonging to rural and scheduled tribes community of the above districts; and

(f) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

इस्पात इकाइयों की स्थापना

4395. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनकी हाल ही की विदेश यात्राओं के दौरान इस्पात क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए द्विपक्षीय समझोतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत में इस्पात क्षेत्र में निवेश करने और सहयोग देने के लिये सहमत हुए हैं;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें इस्पात संयंत्रों/इकाइयों की स्थापना के लिये चुना गया है;

(घ) क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य में किसी स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Revision in the rates of Royalty on Minerals

4396. DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that although royalty on minerals are revisable after every three years, Central Government make revision after five or six years;

(b) whether it is also a fact that delay in the revision of royalty results in considerable loss of revenue to the State Government; and

(c) whether Central Government are considering delegation of Powers to the State Governments to revise the rates of royalty and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) As per provisions of Section 9(3) of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Central Government may, by notification in the Official Gazettee, amend the Second Schedule so as to enhance or reduce the rate at which royalty shall be payable in respect of any mineral with effect from such date as may be specified in the notification provided that the Central Government shall not enhance the rate of royalty in respect of any mineral more than once during any period of three years. The delay in revision and implementation of rates of royalty on major minerals occurs due to procedural as well as administrative reasons. However, revision of rates may not necessarily also mean enhancement of rates and loss of revenues may occur only when there is delay in enhancement of royalty rates.

The Central Government constituted a Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Mines, Government of India with Mining Secretaries of major mineral producing states, Controller General, Indian Bureau of Mines and Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries etc. as members which considered apart from other aspects the suggestions for simplification of the procedure for effecting changes in revision of royalty rates of major minerals and ensuring